

पत्रांक:- 07 / मु0-03-113 / 2023.....28.5.3.....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

कुमार निशांत विवेक, भा०प्र०से०
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 01/10/2026.....

विषय:- Civil Appeal No (s)...../2026, अब्दुल बाकी अंसारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (SLP(c) No 25298/2023 से उद्भूत) तथा SLP(c) No 10872-10898/2024 तंजीम रेजा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य एवं साथ ही संबद्ध वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-28.07.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मामला प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों की D.El.Ed. (Diploma in Elementary Education) की अनिवार्य प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित है, जिन्होंने उक्त योग्यता के बिना सेवा में प्रवेश किया था। विवाद मुख्यतः इस प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुआ कि ऐसे शिक्षकों को न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने के लिए किस सीमा तक समय दिया जा सकता है और दिनांक-31.03.2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों की स्थिति क्या होगी।

2. RTE Act, 2009 के लागू होने के पश्चात् प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए NCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता आवश्यक कर दी गई थी। तथापि, RTE Act की धारा 23 (2) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कुछ राज्यों को सीमित अवधि के लिए न्यूनतम योग्यता में छूट प्रदान की गई थी। बिहार को भी ऐसी छूट 31.03.2015 तक प्रदान की गई थी। इस अवधि में नियुक्त शिक्षकों को निर्धारित अवधि के भीतर न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करनी थी। बाद में Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017 द्वारा RTE Act की धारा 23 में दूसरा Proviso जोड़ा गया, जिसे 01.04.2015 से प्रभावी माना गया। इसके माध्यम से उन सभी शिक्षकों को, जो दिनांक-31.03.2015 को नियुक्त अथवा सेवा में थे और न्यूनतम योग्यता नहीं रखते थे, निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई।

3. इस पृष्ठभूमि में माननीय उच्च न्यायालय, पटना की विभिन्न पीठों के निर्णयों में मतभेद उत्पन्न होने के कारण संबंधित मामले को LPA No 748/2022 बीबी शकिना खातुन एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के समक्ष रखा गया। LPA No 748/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.03.2024 को न्यायादेश पारित कर स्पष्ट किया गया कि 31.03.2015 के बाद बिना निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता को, की गई नियुक्ति वैध नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी नियुक्ति RTE Act की धारा 23 (1) के विपरीत होगी।

4. LPA No 748/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.03.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में दूसरी ओर उन शिक्षकों को, जो दिनांक-31.03.2015 को सेवा में थे, न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने के लिए दिनांक-08.08.2021 तक का समय प्रदान किया गया था। निर्धारित अवधि में योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त किए जाने का निर्देश दिया गया।

5. LPA No 748/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.03.2024 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा विषयांकित वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष लाया गया, जिसमें दिनांक-28.07.2026 को न्यायादेश पारित कर दिनांक-31.03.2015 को सेवा में रहे शिक्षकों की ओर से Anjuman Ishaat-E-Telem Trust Vs. State of Maharashtra तथा उसके बाद के निर्णय का आधार लेते हुए राहत की मांग की गई। उक्त निर्णयों में TET प्राप्त करने के लिए पूर्व में निर्धारित समय-सीमा को, प्राथमिक शिक्षा की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, दिनांक-31.08.2028 तक बढ़ाया गया।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामलों में यह स्वीकार किया कि TET तथा D.El.Ed. दोनों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यताएँ हैं। इसलिए TET के संबंध में Anjuman Ishaat-E-Telem Trust में दी गई समय-विस्तार की व्यवस्था को D.El.Ed. पर भी लागू किया जाना उचित है।

7. फलतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक-28.07.2026 को न्यायादेश पारित कर निर्देश दिया कि जो शिक्षक 31.03.2015 को सेवा में थे, उन्हें D.El.Ed. की योग्यता प्राप्त करने के लिए 31.08.2028 तक का अवसर दिया जाए। ऐसे शिक्षक जो 31.03.2015 से पहले नियुक्त हुए थे, लेकिन LPA No 748/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन्हें भी पुनः सेवा में जारी रखने की अनुमति दी जाए, ताकि वे निर्धारित अवधि में D.El.Ed. प्राप्त कर सकें।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पूर्व में आयोजित D.El.Ed. परीक्षा का परिणाम यथाशीघ्र घोषित किया जाए। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 31.08.2028 के बाद समय-विस्तार के लिए कोई और प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी।

9. इस प्रकार दिनांक-31.03.2015, Cut-off Date के रूप में निर्णायक है। दिनांक-31.03.2015 के बाद बिना आवश्यक योग्यता के की गई नियुक्तियाँ अवैध मानी जाएँगी और बाद में योग्यता प्राप्त करने से उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, जो शिक्षक 31.03.2015 को सेवा में थे, उन्हें D.El.Ed. प्राप्त करने के लिए एक अंतिम अवसर देते हुए दिनांक-31.08.2028 तक का समय प्रदान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में Civil Appeal No (s)...../2026, अब्दुल बाकी अंसारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (SLP(c) No 25298/2023 से उद्भूत) तथा SLP(c) No 10872-10898/2024 तंजीम रेजा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य एवं साथ ही संबद्ध वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-28.07.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नवत् कार्य अपेक्षित है:-

- (क) दिनांक-31.03.2015 के पूर्व नियुक्त सभी अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक दिनांक-31.08.2028 तक अनिवार्य रूप से D.El.Ed. की अर्हता प्राप्त करेंगे।
- (ख) दिनांक-31.03.2015 के पश्चात् नियुक्त किये गये अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति अवैध मानते हुए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक, जिन्हें LPA No 748/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.03.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में सेवा बर्खास्त की गयी थी, उन्हें पुनः सेवा में पुनर्नियुक्त करने की कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे।

विश्वासभाजन

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-07/मु0-03-113/2023.....2853.....

पटना, दिनांक.....01/10/2026.....

प्रतिलिपि:-सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-07/मु0-03-113/2023.....2853/.....

पटना, दिनांक.....01/10/2026.....

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

8